प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 913 / 2008

याचिकाकर्ता : कॉर्पोरेट इस्पात अलॉयस लिमिटेड

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ शासन व अन्य

\- -

आदेश

आदेश हेतु दिनांक 17 जून 2008 को सूचिबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 913 / 2008

रिट याचिका अंतर्गत अनुच्छेद 226, भारत का संविधान

याचिकाकर्ता	:	कॉर्पोरेट इस्पात अलॉयस लिमिटेड द्वारा वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त), श्री एस. के. मोइत्रा, उम्र लगभग 42 वर्ष, पंजीकृत कार्यालय पता- एफ-8, एमआईडीसी इन्डस्ट्रीयल एरिया, हिंगना रोड, नागपूर- 440 016.
	बनाम	
उत्तरवादीगण	1.	छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, राजस्व विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर (छग)
	2.	छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर (छग)
	3.	उद्योग निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य, जीवन बीमा निगम परिसर, पंडरी, रायपुर, जिला- रायपुर (छग)
	4.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, द्वारा प्रबंध संचालक, पंजीकृत कार्यालय पता- जीवन बीमा निगम परिसर, पंडरी, रायपुर, जिला- रायपुर (छग)
	5.	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा संयोजक, सचिवालय के पास (रेणुका द्वार, शास्त्री चौक, रायपुर, जिला- रायपुर (छग)
	6.	जिला उद्योग केंद्र द्वारा महाप्रबंधक, कलेक्टरेट के पास, रायपुर, जिला- रायपुर (छग)
	7.	जिलाधीश, रायपुर, जिला- रायपुर (छग)
	8.	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग, रायपुर (छग)
	9.	शारदा एनर्जी एण्ड मिनेरल्स लिमिटेड द्वारा कार्यपालक निदेशक, यूनिट ऐट इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, फेज- 1, सिलतरा, रायपुर, जिला- रायपुर (छग)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --

उपस्थित:

श्री विवेक तन्खा, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री अनुराग शर्मा, श्रीमती सुषमा सिंह एवं श्री प्रतीक		याचिकाकर्ता हेतु

शर्मा, अधिवक्ता।	:	
श्री प्रशांत मिश्रा, महाधिवक्ता सहित श्री शशांक ठाकुर, पैनल अधिवक्ता।	:	उत्तरवादी क्र. 1, 2, 6, 7 और 8 हेतु
श्री प्रशांत मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री बी. डी. गुरु, अधिवक्ता।		उत्तरवादी क्र. 4 हेतु
श्री रवींद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री कुणाल वर्मा, अधिवक्ता।		उत्तरवादी क्र. 9 हेतु

आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दिनांक 17 जून 2008 को पारित)

न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा

यह याचिका अनुच्छेद 226 भारत का संविधान के अंतर्गत, उत्तरवादी क्र. 4 द्वारा छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी लिमिटेड (अब मेसर्स शारदा एनर्जी एण्ड मिनेरल्स लिमिटेड)/उत्तरवादी क्र. 9 के पक्ष में जारी आशय पत्र दिनांक 3 जनवरी 2007 (अनुलग्नक पी/9) के विरुद्ध है, जिसके अंतर्गत भूमि आवंटन के लिए उनके आवेदन पर विचार कर स्पंज आयरन प्लांट, पावर प्लांट, स्टील प्लांट, कोक ओवन, पेलेटाइजिंग और सिंटरिंग आदि की स्थापना के लिए औद्योगिक क्षेत्र, सिलतारा, पीएच-I (संक्षेप में 'प्रश्नाधीन भूमि') में स्थित 61.287 हेक्टेयर भूमि का आवंटन उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार प्रस्तावित किया गया है।

2. इस याचिका के प्रयोजन के लिए आवश्यक तथ्य यह है कि राजेंद्र स्टील्स लिमिटेड (तत्पश्चात संक्षेप में "आरएसएल" के रूप में संदर्भित) ने सिलतरा, रायपुर में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र

स्थापित करने के लिए एक सहमति पत्र(एमओयू) दिनांक 8.11.1994 निष्पादित किया। उद्योग को तीन अनुक्रमिक पट्टा विलेखों के माध्यम से 113.927 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई, अर्थात अनुलग्नक पी/2 के अंतर्गत 52.64 हेक्टेयर, अनुलग्नक पी/3 के अंतर्गत 31.106 हेक्टेयर तथा अनुलग्नक पी/4 के अंतर्गत 30.181 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। हालाँकि, उपरोक्त उद्योग ने अचानक काम करना और संचालन बंद कर दिया। उद्योग के प्रवर्तक संयंत्र छोड़कर चले गए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 2.12.2005 को आयोजित नीलामी में 52.64 हेक्टेयर भूमि और पूर्ववर्ती आरएसएल इकाई की संपत्ति, संयंत्र और मशीनरी सहित खरीदी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कंपनी याचिका क्र. 44/98 में पारित आदेश दिनांक 12 दिसंबर 2006 (अनुलग्नक पी/7) के अंतर्गत निर्देश दिया कि शेष 61.278 हेक्टेयर पट्टा भूमि का कब्जा सीएसआईडीसी/उत्तरवादी क्र. 4 को सौंप दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. मेसर्स शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड ने एक औद्योगिक परियोजना स्थापित करने के लिए सहमति-पत्र दिनांक 7.1.2005 निष्पादित किया। उत्तरवादी क्र. 9 के अनुरोध पर, राज्य सरकार ने 28.12.2005 को अधिसूचना रद्द कर दी और प्रश्नाधीन भूमि से सटी 61.807 हेक्टेयर भूमि को निर्मुक्त कर दिया, ताकि उत्तरवादी क्र. 9 भूमि स्वामियों से सीधे लेन-देन कर सके। उत्तरवादी क्र. 9 ने तत्पश्चात, अपने विस्तार कार्य के लिए प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किया, जिस पर राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड/उत्तरवादी क्र. 5 ने सीएसआईडीसी/उत्तरवादी क्र. 4 को उत्तरवादी क्र. 9 के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन और पट्टे पर देने के लिए कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। उत्तरवादी क्र. 5 द्वारा विज्ञापन दिनांक 1.12.2005 प्रकाशित किया गया था जिसमें 71.473 हेक्टेयर भूमि के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें प्रश्नाधीन भूमि भी शामिल थी। उत्तरवादी क्र. 9 के प्रस्ताव को उत्तरवादी क्र. 4 द्वारा

स्वीकार कर लिया गया तथा उसे पत्र दिनांक 9.12.2005 के माध्यम से प्रस्तावित प्रीमियम राशि का 10% अर्थात 35,73,650/- रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया तथा उक्त राशि 12.12.2005 को जमा कर दी गई। हालांकि, उत्तरवादी क्र. 4 ने आरएसएल के विरुद्ध दायर कंपनी याचिका क्र. 44/98 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश 18.11.2005 के परिप्रेक्ष्य में अपने पत्र दिनांक 9.12.2005 को निरस्त कर दिया और याचिकाकर्ता को सूचित किया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित कार्यवाही समाप्त होने के बाद, भूमि आवंटन की कार्यवाही पुनः शुरू की जाएगी।

4. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंतिम आदेश 12.12.2006 के अंतर्गत आधिकारिक परिसमापक को 61.287 हेक्टेयर भूमि का कब्जा सीएसआईडीसी/उत्तरवादी क्र. 4 को सौंपने का निर्देश दिया। उत्तरवादी क्र. 4 ने आलोच्य आशय-पत्र के द्वारा उत्तरवादी क्र. 9 को भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ता ने आलोच्य आशय-पत्र दिनांक 3.1.2007 को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी है:-

(□) यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कंपनी याचिका क्र. 44/98 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2006 का उल्लंघन है।

(□□) यह आवंटन के नियमों का भी उल्लंघन है, जिसका उल्लेख इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.2006 में है;

(□□□) आशय-पत्र दिनांक 3.1.2007 स्पष्टतः दुर्भावना से जारी किया गया है तथा यह राज्य औद्योगिक नीति का उल्लंघन है, क्योंकि राज्य की औद्योगिक नीति के अनुसार उक्त

औद्योगिक क्षेत्र में उत्तरवादी क्र. 9 द्वारा प्रस्तावित स्पंज आयरन प्लांट (कोयला आधारित) तथा थर्मल प्लांट (कोयला आधारित) की अनुज्ञा नहीं है।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक तन्खा ने प्रबलता से तर्क किया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिनांक 18.11.2005 में विशेष रूप से टिप्पणी की थी कि सीएसआईडीसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, कंपनी को 113.927 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी, सम्पूर्ण भूमि आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से न्यायालय की अभिरक्षा में आती है। शेष 61.278 हेक्टेयर भूमि का कब्जा आधिकारिक परिसमापक को सौंप दिया जाना चाहिए। आरएसएल की 52.64 हेक्टेयर भूमि की नीलामी की गई, जिसमें याचिकाकर्ता के साथ उत्तरवादी क्र. 9 ने भी भाग लिया तथा याचिकाकर्ता ने उपरोक्त भूमि खरीद ली। अतः, उत्तरवादी क्र. 4 तथा उत्तरवादी क्र. 9 को अंतरिम आदेश दिनांक 18.11.2005 की जानकारी थी, फिर भी प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में सार्वजनिक नोटिस दिनांक 1.12.2005 को जारी किया गया, उत्तरवादी क्र. 9 का प्रस्ताव ज्ञापन दिनांक 9.12.2005 द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा आवंटन हेतु उत्तरवादी क्र. 9 द्वारा दिनांक 12.12.2005 को राशि जमा कर दी गई। उत्तरवादी क्र. 4 का अपने जवाब में यह रुख कि उत्तरवादी क्र. 9 ने आवंटन के लिए अपना आवेदन कभी वापस नहीं लिया था और वास्तव में सीएसआईडीसी/ उत्तरवादी क्र. 4 था जिसने शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स को किए गए आवंटन के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अनुलग्नक पी/7 के कंडिका- 14 में की गई टिप्पणियों के विपरीत है जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि *"श्री वर्मा का कथन है कि छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी ने भूमि आवंटन का अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है और आवंटन राशि उसे वापस कर दी गई है। सीएसआईडीसी लिमिटेड ने अभी तक किसी को भी भूमि आवंटित करने का निर्णय नहीं लिया है और आवंटन के मौजूदा नियमों के अनुसार पात्र और योग्य उम्मीदवार को आवंटन किया जा सकता है।"*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उत्तरवादी क्र. 4 ने अपने पत्र दिनांक 29.11.2006 के माध्यम से उत्तरवादी क्र. 9 को सूचित किया कि प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार किया जाएगा। अतः, ऊपर वर्णित घटनाओं के अनुक्रम के अनुसार, उत्तरवादी क्र. 4 द्वारा जारी सार्वजनिक अधिसूचना दिनांक 1.12.2005, उत्तरवादी क्र. 9 के पक्ष में उसके आवेदन दिनांक 1.12.2005 पर ज्ञापन दिनांक 9.12.2005 तथा प्रीमियम राशि जमा करने पर प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन, अंतरिम आदेश दिनांक 18.11.2005 का उल्लंघन था, जिसे बाद में उत्तरवादी क्र. 4 द्वारा निरस्त कर दिया गया और यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसलिए, उत्तरवादीगण का यह तर्क कि उत्तरवादी क्र. 9 का आवेदन समय से पूर्व प्रस्तुत किया गया था, अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों से स्थापित नहीं होता है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के तुरंत बाद दिनांक 12.12.2006 को आवंटन के लिए आवेदन दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. आगे यह तर्क किया गया कि उद्योगों के लिए भूमि का आवंटन मध्य प्रदेश उद्योग (शेड, प्लॉट एवं भूमि आवंटन) नियम, 1974 (संक्षिप्त में 'नियम, 1974') द्वारा शासित होता है। नियम 5 में मौजूदा कार्यरत औद्योगिक इकाई जिन्हें विस्तार के लिए भूमि की आवश्यकता है उनको प्राथमिकता प्रदान की गई है, नियम 8 में आवेदनों के निराकरण का प्रावधान है, जिसके अनुसार आवेदनों को प्राप्त होने की तिथि के क्रम में विचार किया जाना है तथा आबंटन के लिए सभी आवेदनों पर उचित जांच के बाद 15 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाना है। वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन, यद्यपि समय की दृष्टि से पूर्व में दिया गया था पर, नियम 1974 के नियम 8 के अनुसार न तो विचार किया गया है और न ही निर्णय लिया गया है।

9. आगे यह तर्क किया गया कि उत्तरवादी क्र. 4, जो राज्य का एक अंग है, ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय का पूर्ण उल्लंघन करते हुए उत्तरवादी क्र. 9 को आशय पत्र जारी करके पूर्णतः दुर्भावना से कार्य किया है। दिनांक 1 दिसंबर, 2005 को जब 52 हेक्टेयर की भूमि नीलाम की गई जिसे याचिकाकर्ता द्वारा खरीदा गया, उसी दिन जारी पत्र के अवलोकन से दुर्भावना स्पष्ट हो जाती है। स्पष्ट रूप से अंक "2" को "1" में अध्यारोपण किया गया है। उत्तरवादी क्र. 4 और 9 का अनुवर्ती आचरण भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18.11.2005 की पूर्ण अवहेलना है।

10. अंत में, यह तर्क किया गया कि उत्तरवादी क्र. 9 ने कोयला आधारित स्पंज आयरन और थर्मल प्लांट की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था। चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य ने शपथ पत्र पर कथन किया था कि राज्य रायपुर शहर के 25 किलोमीटर के दायरे में किसी भी कोयला आधारित इकाई को अनुमति नहीं देगा, जिसमें रायपुर के उरला, बोरझरा और सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र को निर्दिष्ट किया गया है, इसलिए उपरोक्त संयंत्रों के लिए उत्तरवादी क्र. 9 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि, आशय-पत्र दिनांक 3.1.2007 के अंतर्गत स्पंज आयरन प्लांट, पावर प्लांट, स्टील प्लांट, कोक ओवन, पेलेटाइजिंग और सिंटरिंग आदि की स्थापना के लिए प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है, परंतु राज्य सरकार की औद्योगिक नीति जो सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में कोयला आधारित गतिविधि की अनुमति नहीं देता है, के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित आवंटन नहीं किया जा सका।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. याचिकाकर्ता के द्वारा हुए विलंब और ढिलाइ के आधार पर उत्तरवादीगण के तर्क का विरोध करते हुए, यह तर्क किया गया है कि याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के समक्ष लगातार

अभ्यावेदन दिया और सीएसआईडीसी/उत्तरवादी क्र. 4 ने उसके अभ्यावेदन पर विचार किया और दिनांक 9.10.2007 को प्रश्नाधीन भूमि से होकर 80 मीटर का गलियारा प्रदान किया। यह प्रस्ताव याचिकाकर्ता को स्वीकार्य था क्योंकि कोई अन्य विकल्प नहीं था। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने पूरे 61 हेक्टेयर भूमि पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ा। यद्यपि आदेश दिनांक 3.1.2008 के अंतर्गत परियोजना को बचाने और चालू रखने के लिए अंतरिम/अस्थायी उपाय के रूप में याचिकाकर्ता को 6 किलोमीटर का नया गलियारा प्रदान किया गया था, फिर भी यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता ने उक्त अनुदान स्वीकार कर लिया है।

12. ***वी.एस. चरती बनाम हुसैन नहानु जमादार (मृत) द्वारा विधिक उत्तराधिकारी[1], चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन बनाम तेलुगु चर्च काउंसिल[2], पालिताना शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड व अन्य बनाम श्रीमती विलासिनी बेन रामचंद्रन व अन्य[3], रमना दयाराम शेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण व अन्य[4] तथा टाटा सेलुलर बनाम भारत संघ[5]*** के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर अवलंब किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इसके विपरीत, उत्तरवादी क्र. 9 की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविन्द्र श्रीवास्तव ने तर्क किया कि वर्तमान याचिका सीएसआईडीसी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन के लिए कार्यवाही शुरू होने और उत्तरवादी क्र. 9 के पक्ष में आशय-पत्र दिनांक 3 जनवरी 2007 जारी होने के एक वर्ष और एक महीने से अधिक के अनुचित विलंब के बाद दायर की गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 12.12.2006 द्वारा याचिकाकर्ता के भूमि के आवंटन के दावे को स्वीकार नहीं किया। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्र. 9 के पक्ष में जारी दिनांक आशय-पत्र 3

---

[1] एआईआर 1999 एससी 1488

[2] 1996 (2) एससीसी 520

[3] एआईआर 2007 एससी 1701

[4] 1979 (3) एससीसी 489

[5] 1994 (6) एससीसी 651

जनवरी 2007 को चुनौती दी है तथा एक वर्ष और एक महीने के बाद यह याचिका दायर करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, अतः यह याचिका विलंब, ढिलाइ और स्वीकृति के कारण वर्जित है।

14. आगे यह तर्क किया गया कि याचिकाकर्ता को विवादित भूमि की आवश्यकता किसी कार्यात्मक उपयोगिता के लिए नहीं है। उनके पत्र दिनांक 20 जुलाई 2007 से यह स्पष्ट है कि उन्हें गर्म धातु के परिवहन की सुविधा के लिए एक गलियारे की आवश्यकता है और उन्होंने उपरोक्त उद्देश्य के लिए 80 मीटर चौड़े गलियारे की मांग की है। याचिकाकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 31 जनवरी 2008 (अनुलग्नक आर-9/24) के माध्यम से वैकल्पिक गलियारे की भूमि को पहले ही स्वीकार कर लिया है और पूर्व में ही वैकल्पिक गलियारे के लिए 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा निष्पादित किया जा चुका है। अतः, याचिकाकर्ता के पश्चात्वर्ती आचरण से यह स्पष्ट है कि उसने अपने अधिकार का परित्याग कर दिया है और अपना दावा, यदि कोई हो, त्याग दिया है, तथा वर्तमान याचिका को बाद में सोच विचार कर दायर किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. याचिका में तात्विक तथ्यों को भी छिपाया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को छिपाया है कि उसने अपने पत्र दिनांक 20 जुलाई 2007 के माध्यम से 80 मीटर चौड़े गलियारे के आवंटन का अनुरोध किया था और उसे सीएसआईडीसी द्वारा आदेश दिनांक 10 सितम्बर 2007 के द्वारा भूमि आवंटित की गई थी। याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में अंतिम आवंटन पत्र दिनांक 31 जनवरी 2008 तथा पट्टा विलेख दिनांक 6 फरवरी 2008 भी छिपाया है। अतः, याचिकाकर्ता न्यायालय के समक्ष साफ हाथों से नहीं आया है।

16. उत्तरवादी क्र. 9 के पक्ष में आवंटन के आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि याचिकाकर्ता आवंटन करने के लिए असद्भावनपूर्ण या अवैध और मनमाने शक्ति का

प्रयोग का साक्ष्य दिखाने में सक्षम न हो। याचिकाकर्ता के पास अपने पक्ष में आवंटन के लिए वरीयता का दावा करने का कोई वैध अधिकार नहीं है क्योंकि राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के बीच कोई सहमति-पत्र नहीं है। याचिकाकर्ता, आरएसएल जो एक परिसमाप्त कंपनी है, के पक्ष में पट्टे के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि उक्त उद्योग के परिसमापन के बाद याचिकाकर्ता को कार्रवाई योग्य कोई अधिकार नहीं मिलता है।

17. उत्तरवादी क्र. 9 ने 7 जनवरी 2005 को छत्तीसगढ़ राज्य के साथ एक सहमति-पत्र निष्पादित किया, जिसके अंतर्गत वह सीएसआईडीसी के माध्यम से सुविधा प्रदान करने और सहमति-पत्र में उल्लिखित परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक भूमि क्रय करने में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए अपनी सहमति दी थी। आवंटन उत्तरवादी क्र. 9 की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया गया है और आवंटित भूमि उत्तरवादी क्र. 9 की भूमि से सटी हुई है। उत्तरवादी क्र. 9 का आवेदन समय के दृष्टि से पूर्ववर्ती था, उसने अपना प्रस्ताव कभी वापस नहीं लिया था और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के कंडिका- 14 में की गई टिप्पणियां, सीएसआईडीसी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को संदर्भित करती हैं और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा उत्तरवादी क्र. 4 के जवाब से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी क्र. 9 ने अपना प्रस्ताव कभी वापस नहीं लिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18.11.2005 की जानकारी उत्तरवादी क्र. 4 को पत्र दिनांक 6 दिसंबर 2005 के द्वारा सूचित किया गया था, जो 13 दिसंबर 2005 को प्राप्त हुआ था और उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेश में टिप्पणी किया था कि उत्तरवादी क्र. 4 ने प्रथम दृष्टया यह स्थापित कर दिया है कि उसे परिसमापन के आदेश की कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए, उत्तरवादी क्र. 4 के खिलाफ कोई अवमानना कार्यवाही नहीं की गई, जबकि आवंटन दिनांक 19.12.2005 का तथ्य उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था। आशय-पत्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12.12.2006 द्वारा दिनांक 18.11.2005 के स्थगन आदेश को रद्द करने के बाद जारी किया गया था।

18. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी पत्र दिनांक 20 फरवरी 2008 केवल सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में पहले से मौजूद कोयला आधारित परियोजनाओं से संबंधित है। उत्तरवादी क्र. 9 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 28.9.2007 (अनुलग्नक आर-9/20) द्वारा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्रदान की गई थी तथा पत्र दिनांक 5 मार्च 2008 द्वारा इसने पहले ही अपनी परियोजना को संशोधित कर लिया है तथा कोयला आधारित परियोजनाओं को हटा दिया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने अपने पत्र दिनांक 26 मार्च 2008 (अनुलग्नक आर-9/21) के माध्यम से उत्तरवादी क्र. 9 को उसकी संशोधित परियोजनाओं के आधार पर विस्तार हेतु पर्यावरणीय अनुमति प्रदान की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***मेसर्स कस्तूरी लाल लक्ष्मी रेड्डी बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य व अन्य***[6] तथा ***मध्य प्रदेश राज्य व अन्य बनाम नंदलाल जायसवाल व अन्य***[7] के मामलों में दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया है।

20. उत्तरवादी क्र. 4 ने अपने जवाब में, वर्तमान याचिका दायर करने में देरी और ढिलाइ के संबंध में आपत्तियां उठाने के अलावा, यह स्पष्ट रुख अपनाया है कि उत्तरवादी क्र. 9 ने आवंटन के लिए अपना आवेदन कभी वापस नहीं लिया है और परिसमापन कार्यवाही लंबित होने के कारण सीएसआईडीसी द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया गया था। आगे यह भी तर्क किया गया है कि उत्तरवादी क्र. 9 को विधि, नियमों और प्रक्रिया के अनुसार भूमि आवंटित की गई है। याचिकाकर्ता किसी भी प्राथमिकता का हकदार नहीं है, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि के निकट कोई भी

---

[6] (1980) 4 एससीसी 1

[7] (1986) 4 एससीसी 566

कार्यशील औद्योगिक इकाई नहीं है तथा याचिकाकर्ता द्वारा मौजूदा कार्यशील औद्योगिक इकाई के विस्तार के लिए कोई आवेदन भी नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्र. 9 के आवेदन करने के बाद आवेदन किया था। आवेदन भी गैर-औद्योगिक इकाई के लिए था। याचिकाकर्ता ने नए उद्योग की स्थापना के लिए राज्य सरकार से रियायतें/छूट प्राप्त की है और इसलिए, याचिकाकर्ता के प्रकरण में नियम, 1974 का नियम 5(ग) लागू नहीं होता है। याचिकाकर्ता की इकाई राज्य सरकार की वर्ष 2004 की औद्योगिक नीति (अनुलग्नक आर/1) में परिभाषित मौजूदा कार्यशील औद्योगिक इकाई की परिभाषा में शामिल नहीं है। उत्तरवादी क्र. 9 के पक्ष में पक्षपात के आरोपों से इनकार किया गया है और यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को पहले ही गर्म धातु के परिवहन के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है और उपरोक्त भूमि के लिए उसके पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित किया जा चुका है। अतः गर्म धातु के परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति हो चुकी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. राज्य/उत्तरवादी क्र. 1, 2, 6, 7 और 8 ने पृथक से कोई जवाब पेश नहीं किया है और उत्तरवादी क्र. 4 द्वारा पेश जवाब को अपने जवाब के रूप में अंगीकृत किया है। हालांकि, राज्य ने शपथ-पत्र में कथन किया है कि 16 मार्च 2007 के आदेश (अनुलग्नक आर/1) के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि रायपुर के उरला, बोरझरा और सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में नई स्पंज आयरन और कोयला आधारित तापीय विद्युत इकाइयों की स्थापना पर प्रतिबंध रहेगा जो उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्र आवेदन में उल्लिखित गांवों से मिलकर बने हैं।

22. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्री का अध्ययन किया।

23. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका की कंडिका- 7 में उल्लिखित विभिन्न अनुतोष के लिए प्रार्थना किया है। हालाँकि, मौखिक तर्क के दौरान और लिखित तर्क में भी, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्र. 9 के पक्ष में जारी आशय-पत्र दिनांक 3 जनवरी 2007 की वैधता, विधिमान्यता और औचित्य को चुनौती दी है और उसे अभिखंडित करने की प्रार्थना की है।

24. वे आधार जिन पर प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है, अच्छी तरह से स्थापित हैं। न्यायिक समीक्षा का संबंध निर्णय के गुण-दोष की समीक्षा से नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया से है। चूंकि न्यायिक समीक्षा की शक्ति निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं है, इसलिए न्यायालय अपना निर्णय प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। अवैधता, अतार्किकता और प्रक्रियात्मक अव्यवस्था कुछ व्यापक आधार हैं, जिनके आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अंदर आ जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. *रमण दयाराम शेट्टी*[4] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह देखते हुए कि वर्तमान में कल्याणकारी राज्य में सरकार नौकरियों, अनुबंधों, लाइसेंसों, कोटा, खनिज अधिकारों आदि सहित बड़ी संख्या में लाभ प्रदान करती है, यह निर्धारित किया है कि ऐसे मामलों में सरकार का विवेक असीमित नहीं है। सरकार मनमाने विवेक या अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर सकती या रोक नहीं सकती और यह उन मानकों पर आधारित होना चाहिए जो मनमाने या अनधिकृत न हों, क्योंकि सरकार की स्थिति किसी निजी व्यक्ति के समान नहीं है। जब सरकार कोई अनुबंध करती है तो उसे ऐसा बिना किसी भेदभाव और बिना किसी अनुचित प्रक्रिया के निष्पक्षता से करना चाहिए।

26. *टाटा सेल्युलर*[5] के प्रकरण में भी यह निर्धारित किया गया है कि न्यायालय द्वारा केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया की ही समीक्षा की जा सकती है, न कि निर्णय के गुण-दोष की, क्योंकि

न्यायालय समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। इस संबंध में दिए गए पूर्व निर्णयों का विस्तृत उल्लेख करते हुए, उपरोक्त निर्णय के कंडिका 94 में निम्नानुसार निर्णय दिया गया है:

"94. उपरोक्त से यह सिद्धांत निकाले जा सकते हैं:

(1) आधुनिक प्रवृत्ति प्रशासनिक कार्रवाई में न्यायिक संयम की ओर इशारा करती है।

(2) यह न्यायालय अपील न्यायालय के स्वरूप नहीं होता है, बल्कि केवल उस तरीके की समीक्षा करता है जिससे निर्णय लिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) न्यायालय के पास प्रशासनिक निर्णय को सही करने की विशेषज्ञता नहीं है। यदि प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा की अनुमति दी जाती है, तो यह आवश्यक विशेषज्ञता के बिना, अपने ही निर्णय को प्रतिस्थापित करने जैसा होगा, जो स्वयं त्रुटिपूर्ण हो सकता है।

(4) निविदा आमंत्रण की शर्तों की न्यायिक जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि निविदा आमंत्रण अनुबंध के दायरे में आता है। सामान्यतः, निविदा स्वीकार करने या अनुबंध प्रदान करने का निर्णय कई स्तरों पर बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से लिया जाता है। अधिकतर मामलों में, ऐसे निर्णय विशेषज्ञों द्वारा गुणात्मक रूप से लिए जाते हैं।

(5) सरकार को अनुबंध की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रशासनिक क्षेत्र या अर्ध-प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत किसी भी प्रशासनिक निकाय के लिए संयुक्त रूप से निष्पक्ष व्यवहार एक आवश्यक सहवर्ती शर्त है। हालांकि,

निर्णय को न केवल तर्कसंगतता के वेडनसबरी सिद्धांत (इसके ऊपर बताए गए अन्य तथ्यों सहित) के अनुप्रयोग द्वारा परखा जाना चाहिए, बल्कि यह मनमानी से मुक्त होना चाहिए, पक्षपात से प्रभावित नहीं होना चाहिए या दुर्भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिए।

(6) निर्णयों को अभिखंडित करने से प्रशासन पर भारी प्रशासनिक बोझ पड़ सकता है और इससे बजट से बाहर व्यय में वृद्धि हो सकती है।"

27. *मेसर्स कस्तूरी लाल लक्ष्मी रेड्डी*[6] के प्रकरण में भी यह निर्धारित किया गया है कि यदि सरकार कोई अनुबंध प्रदान करती है या अपनी संपत्ति पट्टे पर देती है या कोई अन्य छूट देती है, तो उसकी वैधता का परीक्षण "तर्कसंगतता" और "सार्वजनिक हित" की कसौटी पर किया जाना चाहिए। यदि यह किसी भी परीक्षण को पूरा करने में विफल रहता है, तो यह असंवैधानिक और अवैध होगा क्योंकि सरकार मनमाने ढंग से, स्वेच्छाचारी ढंग से या सिद्धांतहीन तरीके से कार्य नहीं कर सकती है। हालाँकि, कंडिका- 14 में आगे निर्धारित किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"14. .....सरकार को अपनी नीतियां बनाते समय अनेक प्रकार के विचारों को ध्यान में रखना पड़ सकता है और किसी विशेष कार्रवाई को करने में सरकार को जिन विभिन्न विचारों को ध्यान में रखना पड़ा है, उनके समग्र मूल्यांकन के आधार पर ही न्यायालय को यह निर्णय करना होगा कि सरकार की कार्रवाई उचित है या जनहित में है।

हालांकि, हमेशा यह उपधारणा किया जाता है कि सरकार की कार्रवाई उचित और जनहित में है और इसकी वैधता को चुनौती देने वाले पक्ष को यह प्रमाणित करना होता है कि इसमें तर्कसंगतता की कमी है या वह

जनहित में नहीं है। यह भार बहुत भारी है और इसे उचित एवं पर्याप्त सामग्री के माध्यम से न्यायालय की संतुष्टि तक पूरा किया जाना चाहिए। न्यायालय यह नहीं मान सकता कि सरकार द्वारा की गई कार्रवाई अनुचित है या जनहित के बिना है, लेकिन जहां वह इस संबंध में स्पष्ट रूप से संतुष्ट है, वहां संविधान के अंतर्गत सरकारी कार्रवाई को अमान्य करना उसका सबसे स्पष्ट कर्तव्य होगा।

अमान्यता का यह आधार, अर्थात्, कि सरकारी कार्रवाई अनुचित है या उसमें सार्वजनिक हित की गुणवत्ता का अभाव है, दुर्भावना से भिन्न है, यद्यपि यह कुछ प्रकरण में दुर्भावना का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. *नन्दलाल जायसवाल*[7] प्रकरण में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कस्तूरी लाल के निर्णय के कंडिका- 38 में इस प्रकार निर्णय दिया है:

"38..... जब राज्य सरकार किसी नए उद्योग को स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान कर रही है, तो यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि वह ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए विज्ञापन दे और प्रस्ताव आमंत्रित करे। राज्य सरकार उन लोगों के साथ बातचीत करने की हकदार है जो ऐसे उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं। वर्तमान प्रकरण में, 30 दिसंबर, 1984 के नीतिगत निर्णय का प्रमुख उद्देश्य नए स्थलों पर आधुनिक तकनीकी रूप से उन्नत संयंत्र के साथ नई डिस्टिलरी का निर्माण और स्थापना सुनिश्चित करना था, जहां वायु और जल प्रदूषण की कोई संभावना नहीं होगी और यदि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए

> राज्य सरकार ने मौजूदा ठेकेदारों के प्रस्ताव पर विचार किया और उनके साथ बातचीत की और अंततः उन्हें कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों में निर्धारित शर्तों और नियमों पर नई डिस्टिलरी के निर्माण के लिए लाइसेंस देने का फैसला किया, तो राज्य सरकार को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से या स्वेच्छाचारिता से काम करने वाला नहीं कहा जा सकता।"

29. इन सिद्धांतों के आधार पर, मैं वर्तमान प्रकरण के तथ्यों की विवेचना करने का प्रस्ताव करता हूं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक तन्खा ने *वी.एस. चरती*[1], *चर्च ऑफ साउथ इंडियन ट्रस्ट लिमिटेड*[2] और *पालिताना शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड*[3] के मामलों में दिए गए निर्णयों पर अवलंब करते हुए दृढ़ता से तर्क किया कि याचिकाकर्ता आरएसएल के आसन्न भूमि का सफल नीलामीकर्ता था। परिसमापन कार्यवाही में आयोजित नीलामी में, उत्तरवादी क्र. 9 ने असफल रूप से भाग लिया और विचाराधीन भूमि भी आरएसएल को आवंटित कर दी गई और यह नीलामी में याचिकाकर्ता द्वारा खरीदी गई भूमि के निकट है। प्रश्नाधीन भूमि उद्योगों के संचालन के लिए आवश्यक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कंपनी याचिका में दिनांक 18.11.2005 के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि आरएसएल को उत्तरवादी क्र. 4 द्वारा 113.927 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी और इस प्रकार, आरएसएल को आवंटित की गई पूरी भूमि आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से न्यायालय की अभिरक्षा में आती है। शेष 61.27 हेक्टेयर भूमि का कब्जा आधिकारिक परिसमापक को सौंप दिया जाना चाहिए, तथा कंपनी (परिसमापक) के पास ऐसी भूमि पर जो भी अधिकार हैं, वे उसी के अनुसार होने चाहिए।

उत्तरवादी क्र. 4 ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की पूर्ण अवहेलना करते हुए विवादित भूमि के आवंटन के संबंध में सार्वजनिक नोटिस दिनांक 1.12.2005 जारी किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.2006 पर अवलंब करते हुए, यह तर्क किया गया कि उत्तरवादी क्र. 4 द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि उत्तरवादी क्र. 9 ने भूमि आवंटन के लिए अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है और आवंटन राशि उसे वापस कर दी गई है। उत्तरवादी क्र. 4 ने अभी तक किसी को भी भूमि आवंटित करने का निर्णय नहीं लिया है तथा आवंटन के मौजूदा नियमों के अनुसार पात्र एवं योग्य उम्मीदवार को आवंटन किया जा सकता है। इस आदेश के पारित होने के तुरंत बाद, याचिकाकर्ता ने दिनांक 13.12.2006 को प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। उत्तरवादी क्र. 4 के लिए नियम, 1974 के अनुसार इस आवेदन पर विचार करना अनिवार्य था। इस प्रकार, आबंटन नियमों की अवहेलना करते हुए आशय पत्र जारी किया गया है, जो मनमाना, अनुचित और भेदभावपूर्ण है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2006 अंतिम हो गया है और अब उत्तरवादी क्र. 4 और 9 के लिए यह विकल्प नहीं है कि वे उपरोक्त आदेश में दर्ज अपनी स्वीकारोक्ति को वापस ले लें और यह तर्क दें कि उत्तरवादी क्र. 9 ने अपना प्रस्ताव कभी वापस नहीं लिया था और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के दृष्टि से इसे स्थगित रखा गया था क्योंकि उच्च न्यायालय का आदेश अंतिम हो गया है और यह पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. वर्तमान प्रकरण में, यह विवाद का विषय नहीं है कि आरएसएल को वर्ष 1994 में तीन अलग-अलग पट्टा विलेखों के माध्यम से 113.927 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। उपरोक्त उद्योग ने अचानक काम करना और संचालन बंद कर दिया। प्रवर्तक प्लांट छोड़कर भाग गए और उनका पता नहीं चल सका। आरएसएल को ऋण देने वाली वित्तीय संस्था आईडीबीआई ने वर्ष

1998 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ समापन याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 17.5.1998 द्वारा कंपनी का परिसमापन कर दिया और यह आदेश दिनांक 9.4.1998 से लागू हुआ। आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया गया। आरएसएल द्वारा आईडीबीआई के पास गिरवी रखी गई 52.64 हेक्टेयर भूमि की सार्वजनिक नीलामी की गई और याचिकाकर्ता ने नीलामी में उक्त भूमि खरीद ली। उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिनांक 18.11.2005 पारित किया, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, जिसमें आरएसएल की संपत्ति के रूप में 113.927 हेक्टेयर भूमि का कब्जा आधिकारिक परिसमापक को सौंपने का निर्देश दिया गया था। उत्तरवादी क्र. 4 द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस दिनांक 1.12.2005 जारी किया गया था और उपरोक्त नोटिस के जवाब में, उत्तरवादी क्र. 9 ने विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना के लिए संबंधित भूमि के आवंटन के लिए आवेदन दिया था। उत्तरवादी क्र. 9 का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और उत्तरवादी क्र. 9 को अनंतिम प्रीमियम का 10% जमा करने का निर्देश दिया गया, जो 10.12.2005 को जमा कर दिया गया। हालांकि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के मद्देनजर उत्तरवादी क्र. 4 ने उत्तरवादी क्र. 9 को सूचित किया कि विचाराधीन भूमि के आवंटन के संबंध में उनके पहले के पत्र दिनांक 9.12.2005 को स्थगित रखा गया है और बाद में, उत्तरवादी क्र. 9 को सूचित किया गया कि विचाराधीन भूमि के आवंटन के संबंध में उनके पत्र दिनांक 9.12.2005 को अप्रभावी बना दिया गया है और आवंटन का मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित होने के बाद तय किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. यह भी विवादित नहीं है कि उत्तरवादी क्र. 9 ने 7.1.2005 को विभिन्न परियोजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ सहमति-पत्र निष्पादित किए थे और उक्त सहमति-पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य ने राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (संक्षेप में 'एसआईपीबी') के हस्तक्षेप के माध्यम से परियोजनाओं के लिए आवश्यक सभी सहायता, प्रचलित प्रोत्साहन और अनुमति की सुविधा

प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि का आवंटन भी शामिल था। उत्तरवादी क्र. 9 के आवेदन पर कि भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किया जाए और उत्तरवादी क्र. 9 को मंढार में स्थित 61.807 हेक्टेयर भूमि खरीदने की अनुमति दी जाए, जिस पर रिट याचिका क्र. 2286/95 और रिट याचिका क्र. 993/96 के माध्यम से प्रकरण चल रहा था, उत्तरवादी क्र. 4 ने भूमि को गैर-अधिसूचित करने पर सहमति व्यक्त की, उपरोक्त रिट याचिकाएं वापस ले ली गईं और उत्तरवादी क्र. 9 ने संबंधित स्वामियों को प्रतिकर देकर उनसे उक्त भूमि खरीद ली। उत्तरवादी क्र. 4 ने उत्तरवादी क्र. 9 को दिनांक 28.12.2006 को शेष 70 हेक्टेयर भूमि का पट्टा भी प्रदान कर दिया (अनुलग्नक आर-9/2)। उत्तरवादी क्र. 9 ने अपने आवेदन दिनांक 22.8.2005 के माध्यम से उत्तरवादी क्र. 4/सीएसआईडीसी (पूर्व में एमपीएकेवीएन) द्वारा आरएसएल के लिए अधिग्रहित 61.287 हेक्टेयर भूमि के आवंटन के लिए आवेदन किया था। एसआईपीबी ने अपने पत्र दिनांक 3.9.2005 के माध्यम से राज्य और उत्तरवादी क्र. 9 के बीच सहमति-पत्र के मद्देनजर उत्तरवादी क्र. 9 को उपरोक्त भूमि आवंटित करने की सिफारिश की। इसके बाद, उत्तरवादी क्र. 9 द्वारा सार्वजनिक नोटिस दिनांक 1.12.2005 के अनुसरण में प्रस्तुत आवेदन के जवाब में, उत्तरवादी क्र. 4 ने उत्तरवादी क्र. 9 को उपरोक्त भूमि पट्टे पर देने का निर्णय लिया। हालाँकि, उपरोक्त आदेश को बाद में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निष्प्रभावी बना दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. आदेश दिनांक 12.12.2005 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह तथ्य कि विचाराधीन भूमि उत्तरवादी क्र. 9 को 9.12.2005 को आवंटित की गई थी, याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था। उपरोक्त आदेश के कंडिका- 2 में की गई टिप्पणियों से यह भी स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया उत्तरवादी क्र. 4 के इस तर्क में तथ्य पाया कि उन्हें दिनांक 18.11.2005 और 24.8.2006 के आदेशों की जानकारी नहीं थी।

34. नियम, 1974 के नियम 5 (ग) में उपलब्ध समीपवर्ती भूमि के आवंटन में विस्तार के लिए भूमि की आवश्यकता वाली "मौजूदा कार्यरत औद्योगिक इकाई" के आवंटन में प्राथमिकता का प्रावधान है। उपरोक्त प्राथमिकता केवल मौजूदा कार्यरत औद्योगिक इकाई को अपने मौजूदा उद्योगों के विस्तार के लिए उपलब्ध है। राज्य औद्योगिक नीति वर्ष 2004 में "मौजूदा कार्यशील औद्योगिक इकाई" को परिभाषित किया गया है। उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी क्र. 4 के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में बल है कि याचिकाकर्ता नियम, 1974 के नियम 5 (ग) के अनुसार किसी भी प्राथमिकता का हकदार नहीं था।

35. राज्य और उत्तरवादी क्र. 9 के बीच सहमति-पत्र को ध्यान में रखते हुए, तथ्य यह है कि उत्तरवादी क्र. 9 ने आसन्न भूमि खरीदी थी, जबकि उत्तरवादी क्र. 9 के आवेदन पर इसे अधिग्रहण से विमुक्त कर दिया गया था, शेष 70 हेक्टेयर भूमि उत्तरवादी क्र. 9 को उसकी औद्योगिक इकाई के लिए आवंटित की गई थी, उत्तरवादी क्र. 9 ने दिनांक 22.8.2005 को, अर्थात् इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पारित होने से पहले, प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन के लिए आवेदन दिया था और उसे एसआईपीबी द्वारा विधिवत अग्रेषित किया गया था, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि उत्तरवादी क्र. 9 के पक्ष में आशय पत्र जारी करने में उत्तरवादी क्र. 4 की कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ता ने याचिका में कथन किया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2006 को आदेश पारित किए जाने के बाद, उन्होंने दिनांक 13.12.2006 को विवादित भूमि के आवंटन के लिए आवेदन किया, हालांकि, उपरोक्त दावे के समर्थन में इस न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिसे उत्तरवादी क्र. 9 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। वैसे भी, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, उत्तरवादी क्र. 9 का भूमि आवंटन के लिए आवेदन समय से पहले का था और उत्तरवादी क्र. 9 को प्राथमिकता देने से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्र. 4 के अधिवक्ता ने कंपनी याचिका में बयान दिया था कि उत्तरवादी क्र. 9 ने भूमि आवंटन के लिए अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है।

36. यह सही है कि उत्तरवादी क्र. 9 ने स्पंज आयरन प्लांट (कोयला आधारित) और थर्मल प्लांट (कोयला आधारित) की स्थापना के लिए अनुमति मांगी थी और राज्य ने आदेश दिनांक 16 मार्च 2007 के अंतर्गत निर्णय लिया कि संबंधित क्षेत्र में नए कोयला आधारित स्पंज आयरन और थर्मल पावर यूनिट की स्थापना पर प्रतिबंध रहेगा। उत्तरवादी क्र. 9 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 28 सितम्बर, 2007 के द्वारा स्पंज आयरन तथा विद्युत उत्पादन इकाई सहित अन्य इकाइयों की स्थापना के लिए पर्यावरणीय अनुमति प्रदान की गई थी, जिसका विवरण अनुलग्नक आर/20 है। उत्तरवादी क्र. 9 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2008 को (अनुलग्नक आर/21) नई रोलिंग मिल और कैप्टिव पावर प्लांट (अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति आधारित) स्थापित करने के लिए पर्यावरणीय अनुमति प्रदान की गई थी। इसलिए, बाद में पर्यावरण अनुमति को दृष्टि में रखते हुए, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उत्तरवादी क्र. 9 द्वारा प्रस्तावित कोयला आधारित उद्योगों को राज्य की औद्योगिक नीति के अनुसार अनुमति नहीं दी जा सकती, भी निराधार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. उत्तरवादी क्र. 9 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविन्द्र श्रीवास्तव ने भी विलंब, ढिलाइ और उपमत के आधार पर इस याचिका का विरोध किया है। उत्तरवादी क्र. 4 ने आदेश दिनांक 9.12.2005 के द्वारा उत्तरवादी क्र. 9 के आवेदन को स्वीकार कर लिया तथा संबंधित भूमि को उत्तरवादी क्र. 9 को आवंटित करने का निर्णय लिया। आलोच्य आशय-पत्र दिनांक 3.1.2007 को जारी किया गया था और उत्तरवादी क्र. 9 ने इसके अनुसरण में आवश्यक राशि जमा कर दी थी। यह याचिका एक वर्ष और एक महीने से अधिक समय के बाद

बिना किसी विलम्ब के स्पष्टीकरण के दायर की गई है। इसके विपरीत, इस बीच, याचिकाकर्ता ने पत्र दिनांक 20 जुलाई 2007 के माध्यम से गर्म धातु के परिवहन के लिए 80 मीटर चौड़े गलियारे के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया और मांगे गए अनुतोष के अनुसार गलियारा याचिकाकर्ता को आवंटित कर दिया गया। इसके पश्चात, याचिकाकर्ता को पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2008 (अनुलग्नक आर-9/24) के अंतर्गत वैकल्पिक गलियारा आवंटित किया गया तथा अनुलग्नक आर-9/25 के अंतर्गत वैकल्पिक गलियारे का 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा भी निष्पादित किया गया।

38. अतः याचिकाकर्ता के उपरोक्त आचरण से, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में सार है कि वर्तमान याचिका में विलम्ब, ढिलाइ और स्वीकृती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. उपर्युक्त कारणों से, मेरा मत है कि उत्तरवादी क्र. 4 द्वारा जारी आशय-पत्र दिनांक 3 जनवरी, 2007 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं करता है। उत्तरवादी क्र. 4 की ओर से उत्तरवादी क्र. 9 को भूमि आवंटित करने में कोई स्पष्ट दुर्भावना नहीं है और राज्य औद्योगिक नीति का कोई उल्लंघन नहीं है, जैसा कि याचिका में अभिकथन किया गया है।

40. परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका सारहीन है, यह खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

41. व्यय हेतु कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Smriti Ekka

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur